



वित्त मंत्रालय

सरकार ने 4 अक्टूबर, 2017 से पेट्रोल और डीजल (ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड दोनों) पर बेसिक उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया

Posted On: 03 OCT 2017 8:11PM by PIB Delhi

सरकार ने 4 अक्टूबर, 2017 से पेट्रोल और डीजल (ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड दोनों) पर बेसिक उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला कच्चे पेट्रोलियम तेल तथा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के प्रभाव को कम करने और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते खुदरा बिक्री मूल्य को कम करने के लिए किया है।

उत्पाद शुल्क में इस कटौती से पूरे एक वर्ष में 26,000 करोड़ रुपये का और वर्तमान वित्त वर्ष के शेष हिस्से के दौरान करीब 13,000 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

इससे पहले पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य 02 अक्टूबर 2017 को बढ़कर क्रमशः 70.83 रुपये प्रति लीटर और 59.07 रुपये प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में यह वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक मंहगाई में दिखाई देने लगी थी, जो अगस्त, 2017 में बढ़कर 3.24 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई, 2017 में यह 1.88 प्रतिशत थी। इसके कारण सरकार को इस संबंध में तेजी से फैसला लेना पड़ा।

वीके/केपी/जीआरएस - 4021

(Release ID: 1504714) Visitor Counter : 10

